## Total Number of Un-authorized Colonies

**88. Sh. PARDEEP CHAUDHRY (Kalka):** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) the total number of unauthorized colonies in the Kalka Assembly Constituency; and

b) whether any unauthorized colony has been regularized by the Government during the last four years in the Kalka Assembly Constituency; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

**Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister**

**Sir,**

a) Total 134 unauthorized colonies have been detected in the Kalka Assembly Constituency. Out of which 83 colonies are located within the Municipal Committee limit of Kalka and 51 are located outside the Municipal limit.

b) No unauthorized colony has been regularized by the Government during last four years in the Kalka Assembly.

However, out of the 83 colonies falling the municipal limit, the proposal of 65 colonies have been received and examined, out of which 10 colonies fulfil the norm and rest 55 does not fulfil the norms. Accordingly, the proposal of 10 colonies have been approved by the Government which is being notified as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas.

## अनधिकृत कॉलोनियों की कुल संख्या

**88 श्री प्रदीप चौधरी (कालका) :**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) कालका विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की कुल संख्या कितनी है; तथा

(ख) क्या कालका विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में गत चार वर्षो के दौरान सरकार द्वारा किसी अनधिकृत कॉलोनी को नियमित किया गया है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नही, तो उसके कारण क्या हैं ?

**डा० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री**

(क) कालका विधानसभा क्षेत्र में 134 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। जिनमें से 83 कॉलोनियां नगर पालिका कालका की सीमा के भीतर स्थित हैं और 51 नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित है।

(ख) कालका विधानसभा क्षेत्र मे पिछले चार वर्षो के दौरान सरकार द्वारा किसी भी अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित नहीं किया गया है।

हालांकि, पालिका सीमा के अंतर्गत आने वाली 83 कॉलोनियों में से 65 कॉलोनियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है और उनकी जांच की गई है, जिनमें से 10 कॉलोनियां मानदंडों को पूरा करती हैं और बाकि 55 मानदंडों को पूरा नहीं करती है। तदानुसार, इन 10 कॉलोनियों के प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जिनको अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र अधिसूचित किया जा रहा है।